Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VIII, Issue-I March 2022

बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध और विधिक उपबंध

युवराज खरे*
डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी**

सारांश

बच्चे देश की धरोहर हैं पिछले कुछ वर्षों में बच्चों की परवरिश और उनकी सुरक्षा को लेकर चारों तरफ नई चेतना का संचार हुआ है। मानवाधिकारों के संदर्भ में भी बच्चों के अधिकारों पर विशेष बल दिया जा रहा है। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता की विशेष आवश्यकता महसूस की जाती रही है। बच्चों के साथ निरंतर बढ़ती लैंगिक अपराध की घटनाओं ने पूरे समाज का ध्यान आकर्षित किया है। लैंगिक अपराध की घटनाओं के प्रति जन आक्रोश भी बड़ा है और संचार माध्यमों से मिलती जानकारियों ने जनमानस को उद्वेलित किया है। इसी संदर्भ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विशेष उल्लेखनीय है। इस कानून के आने से पहले भी किशोर न्याय नियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएं मौजूद थीं परन्तु बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए समग्र दृष्टि से निर्मित कोई कानून नहीं था। जिसके द्वारा बच्चों की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कोई कारगर कदम उठाए जा सकें। इसके अतिरिक्त अपराध की गंभीरता और उसके प्रकारों पर भी विशेष ध्यान देने वाले तथा कठोर सजा के प्रावधानों की जरूरत को भी या कानून पूरा करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ने बच्चों के संदर्भ में पूरे देश में एक नई चर्चा और विचार विमर्श की जरूरत को रेखांकित किया है। बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध के बारे में समाज को जागरूक करना है, जिससे कि वे रोकथाम व निरोधक उपायों में अपनी भूमिका निभा सकें। इस प्रकार की सामाजिक जागरूकता एक तरफ बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की घटनाओं में कमी लाएगी वहीं दूसरी ओर अपराध हो जाने पर समुदाय के स्तर पर तुरंत कार्रवाई की पहल करके न केवल न्याय के मार्ग को सशक्त किया जा सकेगा बल्कि पीड़ित को भी सार्थक मदद मिल सकेगी।

बीजशब्द: लैंगिक अपराध, बच्चे, न्याय।

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बच्चों के प्रति अपराध का अर्थ है, "शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, उपेक्षा या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार अथवा व्यावसायिक या शोषण के अन्य सभी रूप, जिसके परिणामस्वरूप जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के सन्दर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या गरिमा को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है।" इस प्रकार बालकों पर हो रहे लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न तथा उनका अश्लील साहित्य तैयार करने के अपराधों में वृद्धि होते देख भारत सरकार ने बालकों का संरक्षण करने हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 सृजित किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

* शोधार्थी, विधि अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

** सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का उद्देश्य लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए एक सख्त कानून का निर्माण करना है। बच्चों के प्रति अपराध बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है तथा इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है–

(1) शारीरिक शोषण

(2) यौन शोषण

(3) भावनात्मक शोषण

(4) उपेक्षा

बच्चा कौन है?

जिस किसी भी व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह बच्चा है। बच्चे से आशय बालक एवं बालिका दोनों से है। बच्चे से सम्बंधित परिभाषा इस प्रकार है-

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के अनुसार बच्चा उस व्यक्ति को माना गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है या 18 वर्ष से कम आयु का है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार, बच्चा उसे माना गया है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की परिभाषा

बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, जैसे दुर्व्यवहार, शोषण एवं हिंसा को समझना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे आसपास ही बच्चों के साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं घटित होती हैं, जिनसे बच्चे के शरीर, मन एवं भविष्य पर बुरा असर पड़ता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषाएं-

शोषण (Exploitation)- लाभ, श्रम, यौन संतुष्टि या कुछ अन्य व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए बच्चे का उपयोग करने का कार्य शोषण कहलाता है।

हिंसा (Violence)- मानसिक और शारीरिक हिंसा, चोट और दुरुपयोग, उपेक्षा, उपचार में लापरवाही, दुराचार या दुर्व्यवहार (लैंगिक अपराध सहित) ये सभी हिंसा के रूप हैं।

दुर्व्यवहार (Abuse)- बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के कई रूप हैं, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, उपेक्षा और लैंगिक अपराध। किसी भी प्रकार का संभावित या वास्तविक दुर्व्यवहार बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, गरिमा और विकास के लिए हानिकारक है।

दुर्व्यवहार के प्रकार

बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को चार भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

1. **शारीरिक दुर्व्यवहार-** मुक्का मारना, लात मारना, जोर से हिलाना, काटना, जलाना एवं बच्चे को उठाकर फेंकना शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। शारीरिक दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप परिवार में अनुशासनहीनता व हिंसा का वातावरण बनता है जो बच्चों के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से घातक होता है। शारीरिक दुर्व्यवहार से बच्चों में मामूली खरोंच, जलने के निशान, बेल्ट के व काटने के निशान से लेकर गंभीर चोट जैसे हड्डियों का टूटना, सिर में गंभीर चोट लगना जिससे बच्चे की मृत्यु होना आदि शामिल है।
2. **भावनात्मक दुर्व्यवहार-** जब किसी बच्चे को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और लंबे समय से सामाजिक रूप से वंचित रखा जाता है, वह भावनात्मक दुर्व्यवहार कहलाता है। इसमें बच्चे की आलोचना करना, नकारना, भेदभाव करना, नीचा दिखाना, उपेक्षा करना, अकेला छोड़ना, शोषण करना, डराना आदि शामिल है।
3. **उपेक्षा-** बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा न करने को उपेक्षा माना गया है, जैसे बच्चे के खाने पीने में या चिकित्सा संबंधित मामलों में लापरवाही बरतना आदि।
4. **लैंगिक अपराध-** बच्चे के साथ लैंगिक अपराध वह है जिसमें व्यस्क व्यक्ति बच्चे के साथ अथवा कोई बच्चा किसी अन्य बच्चे के साथ गलत उद्देश्य से कोई शारीरिक क्रिया करता है। बच्चे को गलत तरीके से छूना, गुप्तांगों को छूना, किसी व्यक्ति द्वारा अपना लिंग बच्चे की योनि, मुंह या मूत्रमार्ग में प्रवेश करना या किसी वस्तु या शरीर का ऐसा भाग जो लिंग नहीं है, बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करना लैंगिक अपराध माना गया है। बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाना एवं किसी भी व्यस्क द्वारा शारीरिक क्रिया के लिए बच्चे के सामने अपने गुप्तांगों को प्रदर्शित करना एवं बच्चे को उन्हें छूने के लिए प्रेरित करना भी लैंगिक अपराध है। इसके अतिरिक्त बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना, बच्चे को अश्लील गतिविधियों के लिए उपयोग में लेना या उससे ऐसे कोई कार्य करवाना, जैसे वेश्यावृत्ति एवं मोबाइल फोन या इंटरनेट के माध्यम से बच्चे के साथ यौन गतिविधि करना भी लैंगिक अपराध कहलाता है।

बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध

बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध एक बड़ी समस्या है, जिसका सामना हमारा देश कर रहा है। भारत में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने 2007 में बच्चों के प्रति अपराध के सम्बन्ध में एक अध्ययन करवाया था। इस सर्वेक्षण में शामिल 53% बच्चों ने कहा कि उन्हें किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा है। यह आंकड़ा समस्या की व्यापकता और बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध के मामले में बात करता है। यह समस्या और भी भयावह है, क्योंकि समाज में यह वर्जना है कि, "न इसके बारे में किसी को बताना, न इस बारे में बोलना।" इसके कारण अनेक बार मामले दर्ज ही नहीं किए जाते।

विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि न केवल लडकियां, बल्कि लड़के भी यौन शोषण का शिकार होते हैं और ज्यादातर उदाहरणों में दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बच्चे को जानता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन 'बाल दुर्व्यवहार: भारत 2007' के प्रकाशन के बाद बाल यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में लागू हुआ।

देश व प्रदेश में बच्चों की स्थिति

मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 27% जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है, जिनमें से अधिकांश बच्चे विभिन्न प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक और उपेक्षा के कई मामले सामने आए हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल उत्पीड़न पर कराए गए अध्ययन में निम्न आंकड़े प्रमुखता से उभरे हैं-

- हर 3 बच्चों में से 2 बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं।
- 50% से अधिक बच्चों का शारीरिक या अन्य शोषण होता है।
- 50% में से 88.6% शारीरिक शोषण दुर्व्यवहार माता-पिता द्वारा किया जाता है।
- 65% स्कूल जाने वाले बच्चों में, तीन में से दो बच्चे शारीरिक दंड के शिकार हुए हैं।
- देश के कुल बाल श्रम करने वाले 8% बच्चे, 6% मध्य प्रदेश में रहते हैं जो कि देश में पांचवा स्थान है।
- 19.6% बच्चे (5-14 साल के) काम के विभिन्न प्रकार में शामिल रहे हैं।
- राज्य से बड़ी संख्या में बच्चे पलायन करते हैं।
- 53.2% बच्चे लैंगिक अपराध के शिकार हुए हैं।
- 44,476 बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं।

बच्चों के लिए कानून की आवश्यकता

बच्चे समाज का कमजोर वर्ग होने के कारण शारीरिक, यौन संबंधी और मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग के लिए शीघ्र शिकार हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ लैंगिक अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो घृणित एवं विकृत मानसिकता को दर्शाती है। बच्चों के साथ कई प्रकार से लैंगिक अपराध हो रहा है। बच्चों की यौन सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अलग से कोई सुरक्षा के प्रावधान नहीं किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 में केवल बलात्कार को ही गंभीर एवं दंडनीय अपराध माना गया है, इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराध के अन्य प्रकारों को स्वीकृत नहीं किया गया है, जैसे लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, पीछा करना, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बच्चे का उपयोग आदि। उक्त अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 में कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है। परिणामस्वरुप यह पाया गया कि बच्चों के साथ हो रहे अपराध आमतौर पर रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे हैं। उपलब्ध कानूनों की कमियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर, 2012 से बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों की रोकथाम एवं उन्हें यौन दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू किया गया है।

वर्ष 2013 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में सरकार ने संशोधन किया है जिसके अनुसार वैकल्पिक दंड के प्रावधानों में बदलाव किया गया है तथा इस कानून को विशेष कानून का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के 15 (3) द्वारा राज्यों को बालकों के लिए विशेष कानून निर्माण के लिए निर्देशित किया गया है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संक्षिप्त रूप पोक्सो है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को उन वयस्क लोगों से बचाना है, जो उनका शोषण करते हैं। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जो 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं-

- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है।
- यह लिंग निरपेक्ष अधिनियम है।
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और शीघ्र परीक्षण हेतु बाल मित्र प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
- प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला के मामलों में सबूत का भार आरोपी पर है।
- बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

लैंगिक अपराध किन परिस्थितियों में हो सकता है?

वैसे तो लैंगिक अपराध बच्चों के साथ कभी भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लैंगिक अपराध की संभावना अधिक होती है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां यहां दी गई हैं-

- ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता के साथ फुटपाथ पर रहते हैं।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों ही कामकाजी हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में प्रायः यह जोखिम अधिक बढ़ जाता है।
- विशेष योग्य बच्चों में लैंगिक अपराध का जोखिम कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
- तनावग्रस्त परिवारों के बच्चों में लैंगिक अपराध की संभावना बढ़ जाती है।
- ऐसे बच्चे जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं।
- ऐसे बच्चे जो परिवार में उपेक्षित होते हैं।
- जिन बच्चों के माता-पिता नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।
- जिन परिवारों में प्रायः घरेलू हिंसा होती रहती है।
- ऐसे बच्चे जो कहीं भी अकेले आते-जाते हैं।
- ऐसे बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं।
- ऐसे बच्चे जो जल्दी डर जाते हैं या जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है।
- संस्थाओं में रह रहे बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार की संभावना अधिक होती है।

अपराध कौन कर सकता है?

बच्चों के साथ लैंगिक अपराध कोई भी कर सकता है, फिर भी निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार किया जा सकता है-

- परिवार वाले (माता-पिता, चाचा-चाची, दादा-दादी, मामा-मामी आदि), मित्र या कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति। यह बात आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन शोध के अनुसार अधिकतर लैंगिक

अपराध करने वाले व्यक्ति परिवार के सदस्य या पहचान वाले ही होते हैं। भारत सरकार द्वारा 2007 में हुए अध्ययन के अनुसार 50% यौन दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे एवं बच्चे उन पर विश्वास करते थे।

- जिनकी अभिरक्षा में बच्चे रहते हैं, जैसे-अध्यापक, बाल गृह व छात्रावास कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाएं, पुलिस, धर्मगुरु आदि।
- रिश्तेदार।
- पड़ोस में रहने वाले युवा, अकेले युवक आदि।
- किराएदार या मकान मालिक।
- बड़े बच्चे द्वारा छोटे बच्चे के साथ।
- अनजान व्यक्ति।
- महिलाओं द्वारा भी बालकों के साथ लैंगिक अपराध किया जा सकता है।

लैंगिक अपराध के बारे में नहीं बताने के कारण

जैसा कि हम जानते हैं बच्चे उनके साथ हो रहे लैंगिक अपराध के बारे में आमतौर पर किसी को नहीं बता पाते या बताने में हिचकिचाते हैं। इस हिचकिचाहट के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं-

- डर
- शर्म महसूस करना
- असामान्य महसूस करना
- शब्दों का अभाव
- दुर्व्यवहार करने वाला बच्चे का परिचित है और बच्चा उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता।
- बच्चे को ये बात गोपनीय रखने के लिए कहा गया हो।
- बच्चे द्वारा यह मानना कि बड़े उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे।
- बच्चे को डराया, धमकाया गया हो या रिश्वत दी गई हो।
- बच्चे द्वारा यह मानना कि बड़े पहले से सब जानते हैं।

लैंगिक अपराध के संकेतक

बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की पहचान करने के लिए अनेक अध्ययनों द्वारा कुछ संकेतों की पहचान की गई है। इन संकेतकों को दो हिस्सों में बांटा गया है-

1. **शारीरिक संकेतक**- लैंगिक अपराध के कई शारीरिक संकेत होते हैं। कुछ संकेतक इस प्रकार हैं-
    - अपना ध्यान न देना, जैसे- गंदे या फटे कपड़े पहनना, खाना न खाना, ज्यादा कपड़े पहनना, जल्दी-जल्दी बीमार पड़ना आदि।
    - असामान्य शारीरिक चोट लगना
    - उम्र से ज्यादा यौन संबंधों के बारे में जानकारी होना या बात करना
    - यौन संबंधी रोग होना
    - गर्भवती होना
    - शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना

- गुप्त अंगो में दर्द या जलन की शिकायत
- चलने या बैठने में परेशानी होना

2. **व्यवहारिक संकेतक**- दिए गए संकेतक लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चे के व्यवहार से संबंधित है-
    - बड़ों के सामने शर्माना या घबराना
    - घर जाने में डरना
    - गुस्सा या क्रोध करना, परेशान करना, दूसरे बच्चों के साथ दादागिरी करना, या गाली गलौज करना
    - खेलकूद में हिस्सा न लेना
    - आत्मविश्वास कम होना
    - अत्यधिक थकान महसूस करना
    - पढ़ाई में रूचि कम होना
    - लगातार स्कूल न जाना या स्कूल जाने से कतराना या मना करना

लैंगिक अपराध के प्रभाव

लैंगिक अपराध बच्चे को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा भी पहुंचाता है, जिसके परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। लैंगिक अपराध के कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं-

- शक्तिहीन महसूस करना
- अत्यधिक गुस्सा करना
- चिंता करना
- डरा हुआ रहना
- असामान्य भय महसूस करना
- किसी भी काम में ध्यान लगाने में परेशानी होना
- बुरे या डरावने सपने देखना
- लैंगिक अपराध करने वाले के सामने आने का डर
- आत्मविश्वास कम होना
- अपराध-बोध की भावना
- खुशी महसूस न करना
- शर्माना या अलग-अलग रहना
- रिश्ते बनाने या निभाने में परेशानी महसूस करना
- झूठ बोलना, चोरी करना या घर से भाग जाना
- स्कूल न जाना
- पढ़ाई के स्तर में गिरावट

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत यौन अपराध की श्रेणियां

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अपराध और उसके लिए सजा के प्रावधान इस प्रकार है-

अपराध	दण्ड
धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला एक व्यक्ति जब– 1) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 2) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं हो, प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या 3) बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है, जिससे कि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 4) वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपने मुँह को लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।	**धारा 4** 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना (यदि बालक की अवस्था 16 वर्ष से कम है, तो कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना।)
धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल (सशस्त्र सेनाओं के सदस्य), डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक या बाल गृह के कर्मचारी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते हैं, तो उन परिस्थितियों में यह अपराध 'गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो, या हमले से बच्चे के यौन अंग घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए, इत्यादि। गंभीर प्रवेशन यौन हमला की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) हमले के कारण बच्चे की मौत, और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला।	**धारा 6** कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना या मृत्युदंड। (इस तरह का जुर्माना केवल तब उचित और न्यायसंगत होगा, जब उस जुर्माने की राशि पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए उपयोग में आएगी।)

धारा 7 लैंगिक हमला जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क होता है, तो वह लैंगिक हमला करता है।	**धारा 8** 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में 'गुरुतर लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है, जब अधिक तीव्रता से और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है। इस अपराध के तहत 'यौन हमले' में वे कार्य शामिल हैं, जिनमें कोई व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। 'गंभीर यौन हमले' में ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है या जिनमें बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाते हैं, इत्यादि। गंभीर यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हार्मोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना।	**धारा 10** 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना।
धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न जब कोई यौन आशय से– 1) कोई शब्द/आवाज/संकेत करता है या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शन करता है 2) बच्चे से उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने को कहता है 3) अश्लील लेखन के प्रयोजनों के लिए किसी रूप में या मीडिया में बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है 4) या तो सीधे ही या इलेक्ट्रोनिक, डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है	**धारा 12** 3 साल तक की सजा और जुर्माना।

5) मीडिया के किसी भी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग या बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देता है 6) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों एवं यौन संतुष्टि के लिए बच्चे को फुसलाता या लुभाता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न का अपराध करता है।	
धारा 13 अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। पोर्नोग्राफिक उद्देश्य, जैसे कि– • टी०वी० चैनल • विज्ञापन • इंटरनेट किसी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप (प्रिंटेड फॉर्मेट) द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन (चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं)।	**धारा 14** पहले अपराध पर पाँच साल तक की सजा और जुर्माना; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना।
धारा 15 पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री का संग्रह जो कोई भी व्यक्ति • ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री को जमा करते हैं या अपने पास रखते हैं, जिसमें बच्चा शामिल है और उस सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं; या • जो कोई भी सामग्री को आगे प्रेषित करने या उसका प्रचार करने के लिए सामग्री जमा करते हैं, या • व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अश्लील साहित्य को जमा करते हैं, तो वह पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री के संग्रह का अपराध करते हैं।	**धारा 16** • पहले अपराध पर 5,000 रुपए का जुर्माना और दूसरे अथवा उसके बाद अपराध किए जाने पर 10, 000 रुपए का जुर्माना। • जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक के कारावास की सज़ा। • पहले अपराध पर तीन से पाँच साल तक की सजा; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा।

धारा 17 किसी अपराध के लिए उकसाना– उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है। यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया जाता है, तो यह दंडनीय है	उस सज़ा के लिए दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई है।
धारा 18 किसी अपराध को करने का प्रयास– जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने हेतु कोई कार्य करता है, तो यह दंडनीय है।	ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो आजीवन कारावास के आधे तक का हो सके गा या उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित।
धारा 21 – इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना।	छह महीने तक के कारावास और/ या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
धारा 22 – कोई व्यक्ति, जो धारा 3 (प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 5 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 7 (लैंगिक हमला), धारा 9 (गुरुतर लैंगिक हमला) के अधीन किये गए किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या उसकी मानहानि करने के उद्देश्य से उसके बारे में झूठ बोलेगा या झूठी सूचना देगा i. यदि झूठी शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसे बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा ii. जो कोई बालक नहीं होते हुए भी, किसी बालक के विरुद्ध कोई झूठी बात बोलेगा या यह जानते हुए भी कि उसकी सूचना झूठी है, वह यह झूठी सूचना देगा, जिसके कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध में ऐसा बालक पीड़ित होगा, दंडनीय है।	छह मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित। ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 23 – कोई व्यक्ति, जो बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका-टिप्पणी करता है, जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है या मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे कि– नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा होता है।	छह मास से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों की रिपोर्टिंग

बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध के मामलों की रिपोर्ट न करना धारा 21 के तहत दंडनीय है तथा इस अपराध के लिए छह माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जो ऐसे अपराध की जानकारी रखता है, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए तथा साथ ही निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए-

- पुलिस को प्रत्येक शिकायत की एक प्रविष्टि संख्या देनी चाहिए और इसे लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए।
- पुलिस द्वारा शिकायत करने वाले को सूचना पढ़कर सुनाई जानी चाहिए।
- यदि यह शिकायत किसी बच्चे द्वारा की जाती है, तो वह सरल भाषा में दर्ज की जानी चाहिए।
- यदि मामला उस भाषा में दर्ज किया जाता है, जिसे बच्चा नहीं समझ सकता, तो बच्चे को एक अनुवादक या दुभाषिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- जहाँ विशेष किशोर पुलिस इकाई को यह लगता है कि जिस बालक के विरुद्ध अपराध किया गया है, उसे देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब विशेष किशोर पुलिस इकाई बालक को उन परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगा, जिन परिस्थितियों में अपराधी परिवार का सदस्य है, या पीड़ित के साथ एक ही आवास साझा करता है या परिवार के साथ बच्चे को रखने से बच्चे को और अधिक नुकसान हो सकता है।
- पुलिस सभी मामलों की जानकारी बाल कल्याण समिति को देगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में झूठी शिकायत या झूठी सूचना के खिलाफ दंड का भी प्रावधान है, जिसके लिए छह माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। हालाँकि, किसी अन्य बच्चे द्वारा झूठी शिकायत किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। (धारा 22)

बयान की रिकॉर्डिंग और परीक्षण की प्रक्रिया

- बच्चे का बयान बच्चे के निवास स्थान पर या उस स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए, जहाँ वह सहज है और जहाँ तक संभव हो, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो।
- बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए।
- यदि आवश्यक हो, तो अनुवादक या दुभाषिया की मदद लेनी चाहिये।
- बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए।
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बच्चे की पहचान सार्वजनिक या मीडिया के सामने जाहिर न की जाये।
- पुलिस को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और इस बात की परवाह किए बिना बच्चे को मेडिकल जांच के लिए ले जाना चाहिए कि उस मामले में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई है या नहीं।
- बालिका के मामले में, चिकित्सा परीक्षा महिला चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए।

- बच्चे के साक्ष्य को विशेष अदालत द्वारा मामले का साक्ष्य लिये जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए तथा विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक साल के भीतर विचरण को पूरा करेगा।
- बाल न्यायालय/ विशेष न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना है कि बच्चे के किसी भी प्रकार के सबूत को दर्ज करते समय उसे आरोपी के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाए।
- बाल न्यायालय/ विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में (कैमरे के समक्ष) और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिस पर बालक को विश्वास या भरोसा है

बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध के मामलों में सहायता

पुलिस की भूमिका

- सूचना दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को तुरंत उसका नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नंबर और पर्यवेक्षण अधिकारी का विवरण मुखबिर (सूचना देने वाले) को देना होगा।
- जैसे ही स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को किसी अपराध की सूचना मिलती है या इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के किए जाने की संभावना है, तो वह तुरंत एक प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करेगा और उसी व्यक्ति से प्रतिलिपि साझा करेगा, जिसने अपराध की रिपोर्ट की है।
- पुलिस को दर्ज जानकारी के लिए एक प्रविष्टि संख्या लिखनी चाहिए।
- पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज बयान को बच्चे को पढ़कर सुनाया और समझाया जाना चाहिए।
- पुलिस को सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चा रिकॉर्ड की जा रही सामग्री को समझने में सक्षम हो सके।
- बच्चे के बयान को उसके घर पर ही या उसकी सुविधा के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगी, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए।
- बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए।
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पहचान जनता और मीडिया में जाहिर न हो।
- पुलिस अधिकारी बच्चे के बयान को रिकॉर्ड करते समय अनुवादक या दुभाषिया की सहायता ले सकते हैं।
- पुलिस को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और बच्चे को चिकित्सा जाँच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोरेंसिक परीक्षणों के लिए एकत्र किए गए नमूनों को तुरंत फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया है या नहीं।
- पुलिस को उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक को सूचित करना चाहिए और एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। यदि बच्चा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा है, तो विशेष किशोर पुलिस इकाई / स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट

के 24 घंटे के भीतर बच्चे को इस तरह की देखभाल प्रदान कराना है। यदि बच्चे के पास कोई घर नहीं है, तो बच्चे को बाल गृह में रखने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- पुलिस को बच्चे को वित्तीय सहायता/ अंतरिम मुआवजे का अधिकार दिलाने के लिए सभी मामलों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति और विशेष अदालत को 24 घंटे के भीतर देनी चाहिए।
- बाल कल्याण समिति बच्चे को एक सहायक व्यक्ति प्रदान कर सकता है और ऐसे मामलों में, जहाँ समर्थक व्यक्ति प्रदान किया जाता है, पुलिस को 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में विशेष अदालत को सूचित करना चाहिए।
- पुलिस को बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक या उस व्यक्ति को सूचित करना चाहिए, जिस पर बच्चे को मामले के बारे में भरोसा है।
- पीड़ित मुआवजा लाभ के बारे में सूचित करना चाहिए

किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका

- यदि अपराधी एक बच्चा है, तो बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा तथा किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 56 के अनुसार जांच प्रक्रिया शुरू करेगा।

बाल कल्याण समिति की भूमिका

- यदि विशेष किशोर पुलिस इकाई अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और यह आशंका है कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो साथ में रहता है या बच्चे के साथ घर साझा कर रहा है या बच्चे बाल गृह में रह रहा है या बच्चा बिना किसी घर या बिना माता-पिता की देखभाल के है, तो विशेष किशोर पुलिस इकाई को 24 घंटे के भीतर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बाल कल्याण समिति तब किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अनुसार बच्चे की देखभाल करेगा।
- बाल कल्याण समिति को तीन दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि क्या बच्चे को माता-पिता/ अभिभावकों की निगरानी से बाहर निकालने की जरुरत है और उसे बाल गृह में भेजा जाये या यदि बच्चा पहले से ही किसी संस्था में है, तो बाल कल्याण समिति बच्चे के स्थान को बदलने का निर्णय ले सकती है।
- बच्चे के बारे में निर्णय लेने में, बाल कल्याण समिति को बच्चे द्वारा साझा की गई किसी भी प्राथमिकता या राय को ध्यान में रखना है।
- बाल कल्याण समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में प्राथमिक विचार के रूप में बच्चों के सर्वोत्तम हित का ध्यान होना चाहिए।
- बाल कल्याण समिति रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति के साथ, जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जांच की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का आदेश दे सकता है।
- समर्थक व्यक्ति की सेवाओं को बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे या उसके माता-पिता/ अभिभावक के अनुरोध पर समाप्त किया जा सकता है।

- हर उस रिपोर्ट पर ध्यान दें, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति को की जाती है।

जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका

- जिला बाल संरक्षण इकाई को व्याख्याताओं, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों के साथ एक रजिस्टर बनाए रखना होगा और इस सूची को विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के साथ साझा करना होगा।
- प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ऐसे व्यक्तियों/ गैर सरकारी संगठनों की सूची बनाए रखने के लिए हैं, जिन्हें काउंसलर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और बच्चे की सहायता के लिए व्यक्तियों का समर्थन कर सकते हैं।
- प्रवेशन लैंगिक हमला और सभी गंभीर मामलों में, जहा तक संभव हो सके, बच्चे को परामर्श सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ मौजूदा समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत कोई काउंसलर उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार अनुबंध के आधार पर बाहरी काउंसलर की नियुक्ति को अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं।
- प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई उन व्यक्तियों की सूची बनाए रखेगा, जिन्हें बच्चे की सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। परामर्शदाताओं के भुगतान की दरें जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तय की जाएंगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियोजित सहायक व्यक्ति प्रदान करके बाल कल्याण समिति को सुविधा प्रदान करना, जिसमें कानूनी सह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या आउटरीच कार्यकर्ता समर्थक व्यक्ति भी शामिल हैं।
- जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति को ऐसे व्यक्तियों/ गैर सरकारी संगठनों की सूची बनाये रखनी चाहिए, जिन्हें बच्चे की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

दिन-प्रतिदिन हम बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों की घिनौनी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को इन घटनाओं से सुरक्षित व सावधान रहने के बारे में शिक्षित करते हैं? बच्चे देश की धरोहर हैं, परिवार में उनकी सुरक्षित वृद्धि सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है न सिर्फ परिवार बल्कि समुदाय का भी दायित्व है कि वह बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। निम्नलिखित सावधानियां बरतकर हम बच्चों को बचपन से ही ऐसी घटनाओं के प्रति सावधान व शिक्षित करके उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। लैंगिक अपराधों की रोकथाम के कुछ उपाय निम्न हैं-

- अगर हंसमुख बच्चा अचानक उदास या चुप रहने लगे तो धैर्य पूर्वक बात करें और कारण जानने की कोशिश करें। बच्चा अगर किसी दुर्व्यवहार का जिक्र करे तो बच्चे पर विश्वास करें एवं उसकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- यदि बच्चे का किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव हो तो सतर्क रहें।

- बच्चा जब अपने किसी परिजन एवं रिश्तेदार के पास जाने से कतराए या डरने लगे तो बच्चे से बात करें तथा डर का कारण पता करें एवं उसकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- कोई अनजान व्यक्ति, पड़ोसी या रिश्तेदार आवश्यकता से अधिक बच्चे के साथ मेल-जोल बढ़ाने लगे, उसे अकेले अपने साथ रखने लगे या आवश्यकता से अधिक छूने व प्यार करने लगे तो ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहें एवं अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से रोकें।
- बच्चे, उनके दोस्त व उनके खेलों के बारे में जानकारी रखें। ऐसा भी पाया गया है कि बच्चे आपस में ही लैंगिक क्रियाओं में सक्रिय हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा आभास होता है तो अपने बच्चों से बातचीत करें तथा उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं।
- जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें उम्र के अनुसार निजी अंगों के सही नाम की जानकारी दें। साथ ही उन्हें सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताएं।
- जब बच्चे किशोरावस्था में आएं तब उन्हें यौन व्यवहार के बारे में खुलकर बात करने का अवसर दें।
- बच्चों को सिखाएं कि यदि किसी भी व्यक्ति के स्पर्श से असहज महसूस करें तो उसका विरोध करें एवं तुरंत अपने परिजनों को बताएं।
- अगर बच्चे किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करें तो चुप ना रहें और उनको विश्वास दिलाएं कि आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं।
- बच्चों को किसी ऐसे व्यस्क से मिलने पर मजबूर नहीं करें जिनसे मिलने में वे सहज महसूस नहीं करते हों।
- कामकाजी पति-पत्नी विशेष तौर पर अपने बच्चों पर निगरानी रखें एवं उनको अकेले किसी के पास छोड़ते समय सावधानी बरतें।
- बच्चों को घर में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या 100 नंबर एवं अन्य आपातकालीन हेल्पलाइन जो आपके शहर में सक्रिय हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करें।
- सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों से बातचीत करें और उनकी बात को एक दोस्त की तरह समझें, जिससे वे सहजता से अपनी बात रख सकेंगे। इससे विश्वास का माहौल बनेगा।

सन्दर्भ

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
3. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामले
4. 21 वीं सदी में असुरक्षित बचपन, सचिन कुमार जैन
5. भारत में बाल संरक्षण कानूनों का सारांश (PDF) www.satyarthi.org.in
6. बाल सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम (PDF) www.hcmripa.gov.in
7. Child abuse and neglect by parents and other caregivers (PDF). World Health Organization.
8. http://nipccd.nic.in/reports/posco/dcp.pdf